संख्या-43/2017/308/नौ-5-2017-35एम/2014

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, जफराबाद
जौनपुर।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ दिनांक 17 फरवरी, 2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में 'नगरीय सड़क सुधार योजना' के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि सम्बन्धी आदेश को निरस्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रभारी अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, जफराबाद-जौनपुर के पत्र संख्या-257/न0पं0/2016-17/नगरीय सड़क सुधार यो0 दिनांक 21.01.2017 के संदर्भ में अवगत कराना है कि नगरीय सड़क सुधार योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में नगर पंचायत, जफराबाद जनपद जौनपुर को "मेनरोड बाजार में श्री राजदेव निषाद के मकान से जनता इण्टर कालेज होते हुए श्री सुरेश प्रजापति के मकान तक" इंटरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु रू0 104.39 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 18.69 लाख (रू0 अटठारह लाख उनहत्तर हजार मात्र) की धनराशि शासनादेश संख्या-213/2016/1834/नौ-5-2016-35एम/2014 दिनांक 25 जुलाई, 2016 द्वारा निर्गत की गयी है।

2. उपरोक्त स्वीकृत कार्य को आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत "मो0 सैयदहास में कृपाशंकर प्रजापति के मकान से चन्द्रदेव के मकान तक" सड़क निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि से कराये जाने के कारण उक्त स्वीकृत धनराशि **रू. 18.69 लाख (रू अटठारह लाख उनहत्तर हजार मात्र)** को राजकोष में जमा कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराये जाने के निर्देश शासनादेश संख्या-3534/नौ-5-2016-35एम/2014 दिनांक 30 नवम्बर, 2016 द्वारा दिया गया है। चूँकि उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 18.69 लाख का आहरण अभी तक राजकोष से नहीं किया गया है। अतएव उक्त स्थिति के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय सड़क सुधार योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्ययोजना के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि **रू. 18.69 लाख (रू अटठारह लाख उनहत्तर हजार मात्र)** संबंधी शासनादेश संख्या-213/2016/1834/नौ-5-2016-35एम/2014 दिनांक 25 जुलाई, 2016 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

17/2/2017

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या-623/2017/308(1)/नौ-5-2017-35एम/2014, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
3. जिलाधिकारी, जौनपुर।
4. कोषाधिकारी, जौनपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
5. अध्यक्ष, नगर पंचायत, जफराबाद जनपद जौनपुर।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।